



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक-एफ1(4) / स्था. / सान्याअवि / 24 / 10766

जयपुर, दिनांक-04/10/2024

कार्यालय आदेश

स्व. श्री दशरथ सिंह चारण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर (राज.) के पुत्र श्री संदीप चारण, जिनकी जन्म तिथि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अंक-तालिका माध्यमिक परीक्षा के आधार पर दिनांक 15.12.2000 (पन्द्रह दिसम्बर सन् दो हजार) होने से इनकी आयु 23 वर्ष 09 माह एवं शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं उत्तीर्ण है, को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स के पे लेवल-1 में पदभार सम्भालने की तिथि से अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त कर कार्यालय, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा, जिला-बांसवाड़ा में पदस्थापित किया जाता है:-

1. राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि दो वर्ष होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुक्रम में इन्हें परिवीक्षाधीन अवधि में 12400/- रुपये (अक्षरे रुपये बारह हजार चार सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह स्थिर वेतन दिया जायेगा। इनके द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर किए जाने पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 1 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
2. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा यह प्रतीत होने पर, कि इनमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1996 के नियमों के अनुसार दक्ष कार्मिक होने की क्षमता नहीं है, तो नियमानुसार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त किया जा सकेगा।
3. आदेश जारी होने के 15 दिवस भीतर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश उक्त अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि कब तक कार्यभार संभाल लेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे अर्थात् परिवीक्षा काल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होंगे।
6. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6(6) एफडी/नियम/2005 दिनांक 13.03.06 के तहत एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मेडिकल बीमा का लाभ दिया जायेगा।
7. इनके स्थिर वेतन में से राजकीय बीमा एवं प्रावधानी भत्ते का कटौत नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.04.2003 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू हो जायेंगे।
8. इनकी नियुक्ति पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2/95 दिनांक 20.06.2001 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Joint Secretary
Government of Rajasthan
Date: 2024.10.01 18:24:26 IST
Reason: Approved

9. विवाहित होने के स्थिति में कार्य ग्रहण के समय विवाह पंजीयन/बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र का शपथ पत्र नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
10. पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग को होगा। कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबंधित को 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नहीं किये हैं, नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
12. अपने मूल दस्तावेज लेकर अपनी उपस्थिति कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बांसवाड़ा में प्रस्तुत करेंगे। उप निदेशक, सान्याअवि, बांसवाड़ा इनका दस्तावेज सत्यापन करने के उपरान्त इन्हें पदस्थापित स्थान पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करेंगे तथा इनकी उपस्थिति रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र भिजवायेंगे।

(केसर लाल मीणा)

अति. निदेशक (सत.एवं प्रशा.)

क्रमांक:-एफ1(4)()/स्था./सान्याअवि/24/10767-78 जयपुर, दिनांक:- 04/10/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बांसवाड़ा।
6. निजी सहायक, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
7. उप निदेशक, आईटी, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बांसवाड़ा।
9. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा।
10. श्री संदीप चारण पुत्र स्व. श्री दशरथ सिंह चारण, निवासी- मुकाम मडकोला पोस्ट नयागांव, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राज. को पालनार्थ।
11. व्यक्तिगत पत्रावली श्री संदीप चारण।
12. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक (सत.एवं प्रशा.)

Signature valid

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.10.01 18:24:26 IST
Reason: Approved